

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 445 / 2013
संस्थान दिनांक 16.08.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

चेतन पिता जगन्नाथ, आयु 20 वर्ष,
निवासी-ठीकरी, तहसील ठीकरी,
जिला- बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

//निर्णय //

(आज दिनांक 24 / 01 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 154 / 2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, एवं धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 16.08.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त चेतन के विरुद्ध दिनांक 18.07.2013 को समय 18:15 बजे, ए.बी. रोड़ ग्राम बरूफाटक बायपास पर वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जाने, गौवंश के 02 नग बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 02 नग बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने के संबंध में धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.07.2013 को शाम के समय आरक्षी केन्द्र ठीकरी के उपनिरीक्षक आर.एस. गणावा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन मेजिक टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में बैलों को भरकर वध हेतु महाराष्ट्र टेम्पो का चालक ले जा रहा है। सूचना पर राहगीर पंच हाडू उर्फ महेश एवं हमराह आरक्षक प्रवीण को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया, धामनोद की ओर से आने वाले वाले वाहनों को चेक किया, तभी ए.बी. रोड़ बरूफाटक की ओर से वाहन मेजिक टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 आते दिखा जिस पर तिरपाल ढंकी हुई थी, उसे चेक करने पर उसमें 02 बैल थे, जिनके मुँह एवं पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने वाहन चालक का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम चेतन पिता जगन्नाथ, निवासी ठीकरी का होना बताया। वाहन चालक से बैलों के संबंध में पूछताछ की, तो चालक द्वारा बैलों को महाराष्ट्र ले जाना बताया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर ही पंच साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से उक्त बैल एवं वाहन जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त चेतन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त चेतन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/2013 अंतर्गत धारा 11 'घ' म.प्र. पशु प्रतिषेध अधिनियम, 1960 एवं धारा 4, 6, 9 कृषिक पशु प्रतिषेध अधिनियम, 2004 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 4 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण आरक्षक प्रवीण एवं हाडू उर्फ मुकेश एवं देवेन्द्र के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त असलम के विरुद्ध धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त दिनांक 18.07.2013 को समय 18:15 बजे, ए.बी. रोड़ ग्राम बरूफाटक पर वाहन मेजिक टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में 02 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर ले जा रहा था ?

2. क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन मेजिक टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाया गया ?

3. क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 02 बैलों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन मेजिक टाटा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आरक्षक प्रवीण (अ.सा.1), उपनिरीक्षक आर.एस. गणावा (अ.सा.2), आरक्षक देवेन्द्र पाटीदार (अ.सा.3), मुकेश उर्फ हाडू (अ.सा.4) एवं डॉ. दिनेश पटेल (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त असलम की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में उपनिरीक्षक आर.एस. गणावा (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 18.07.13 को वह थाना ठीकरी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था तथा आरक्षक देवेन्द्र को लेकर रोड़ गश्त कर रहा था। शाम के समय उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में बैलों को अवैध रूप से उनके मूँह-पैर बांधकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे थे तो उसने पंचसाक्षी हाडू उर्फ महेश तथा प्रवीण को बुलाकर सूचना बताई तथा वे लोग बरूफाटक ए.बी. रोड़ पहुँचे उसने धामनोद की ओर से आने वाले वाहनों को जाँच के लिए रोका तथा टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 को रोककर उसमें ढंकी हुई त्रिपाल को खोलकर देखा तो उसमें 2 नग बैल भरे हुए थे। वाहन चालक से पूछने पर अपना नाम चेतन होना बताया और उसके पास बैलों के परिहवन के संबंध में

कोई भी दस्तावेज नहीं थे अथवा उसने घटनास्थल पर पंचों के समक्ष अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 तथा उसमें 2 बैल सफेद रंग के और 3 रस्सी के टुकड़े प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उसने साक्षी हाडु उर्फ महेश एवं प्रवीण तथा आरक्षक देवेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। जप्त बैलों को वृंदावन गौशाला में अस्थाई सुपुदर्गी पर दिये तथा वाहन व अभियुक्तों को साथ लेकर थाना ठीकरी आया और वहाँ अपराध क्रमांक 154/13 अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्शपी 4 का दर्ज किया जिसके ए से ए भाग पर उससे हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त बैलों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया और जप्त बैल एवं वाहन को राजसात करने के लिए पुलिस अधीक्षक बड़वानी को प्रदर्शपी 5 का पत्र भेजा था तथा पुलिस अधीक्षक बड़वानी ने जिलाधीश बड़वानी को उक्त संबंध में कार्यवाही करने का पत्र भेजा था, जो प्रदर्शपी 6 है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि शासन द्वारा अच्छी किस्म के पशुओं को क्रय-विक्रय करने हेतु कई गाँवों में पशु बाजार का आयोजन किया जाता है, जहाँ अच्छे किस्म के पशुओं का क्रय-विक्रय कृषकों द्वारा किया जाता है, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि धार जिले के सुन्देल में एवं बड़वानी जिले के राजपुर में गुरुवार के दिन पशु का बाजार लगता है। साक्षी ने पंच साक्षीगण को मोबाईल से तलब करना बताया है लेकिन इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं रोजनामचे में मोबाईल से साक्षियों को तलब करने का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र राज्य की सीमा ठीकरी से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर पशु वधशाला है, वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ठीकरी, राजपुर, सेंधवा और इनके आसपास के इलाकों में कृषि कार्य पशुओं द्वारा किया जाता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

9. देवेन्द्र पाटीदार अ.सा. 3 ने आर.एस. गणवा अ.सा. 2 के कथन का समर्थन करते हुए दिनांक 18.07.13 की शाम आर.एस. गणवा को टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में बैल भरकर अभियुक्त द्वारा वध हेतु महाराष्ट्र ले जाने के संबंध में भी कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रवीण एवं हाडु चौकी पर खड़े थे जिन्हें श्री गणवा ने आवाज देकर बुलाया और साथ ले गये थे। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि और कितने प्रकरणों में उसके सामने बैल जप्त किये थे। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया कि घटना वाले दिन बैलों से संबंधित कितने प्रकरण और बने थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम सुन्देल उसने देखा नहीं, जहाँ गुरुवार के दिन बाजार लगता है। उसके परिवार में भी

कृषि करते हैं और वे भी बाजार से बैल खरीदकर लाते हैं। गुरुवार के दिन उनके गाँव के एवं आसपास के लोग सुन्देल बाजार में बैल खरीदने एवं बेचने जाते हैं तथा सुन्देल जाने के लिए ठीकरी होते हुए जाना पड़ता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जो 2 बैल देखे थे वो स्वस्थ एवं कृषि उपयोगी थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके समक्ष अभियुक्त से कोई बैल जप्त नहीं हुए या वह असत्य कथन कर रहा है।

10. प्रवीण सोलंकी अ.सा.1 तथा मुकेश उर्फ हाडु अ.सा.5 जप्ती पंचनामों के साक्षीगण हैं। उक्त साक्षीगण ने अभियुक्त को पहचानने तथा प्रदर्शपी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उपनिरीक्षक पुलिस श्री गणावत एवं देवेन्द्र ने उनको आवाज लगाकर बुलाया था, तब पुलिस ने उनके सामने टेम्पों में भरे हुए 2 बैल जप्त किये थे और अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी प्रवीण ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि श्री गणावा ने उसे मुखबिर द्वारा टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में अवैध रूप से बैलों के मुँह एवं पैर बांधकर महाराष्ट्र ले जाने वाली सूचना से अवगत कराया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बरूफाटक पर धामनोद की ओर से आने वाले वाहनों को श्री गणावा ने चेक किया था और टाटा मेजिस रिव्शा में 2 बैल मुँह एवं पैर बंधे हुए जप्त किये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त से उक्त बैलों के परिवहन के परिमित के संबंध में पूछताछ की थी और अभियुक्त ने जप्त बैलों को महाराष्ट्र के मालेगाँव वध हेतु ले जाना बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि इस प्रकरण के अतिरिक्त उसने अन्य दो और प्रकरणों में हस्ताक्षर किये हैं। उसके सामने बैल एवं टेम्पों के अतिरिक्त अन्य कोई चीज जप्त नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने जब उससे प्रदर्शपी 1 व 2 पर हस्ताक्षर करवाये थे उस समय दोपहर के 2 से 3 बजे का समय था। पुलिस ने रात्रि में किसी दस्तावेज पर उससे हस्ताक्षर नहीं करवाये थे और वह रात्रि के समय श्री गणावा के साथ नहीं गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके सामने अभियुक्त ने जप्त बैलों को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुन्देल में पशु बाजार लगता है जहाँ अच्छी किस्म के पशुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह पुलिस विभाग में होने के कारण असत्य कथन कर रहा है।

11. मुकेश उर्फ हाडु असा 5 ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे एवं प्रवीण को बताया था कि धामनोद की ओर से आ रहे वाहन में बैल भरकर आ रहे हैं और वाहन के अंदर बैलों के पैर एवं मुँह रस्सी से बंधे हुए थे तथा अभियुक्त ने बैलों को ले जाने के संबंध में कोई दस्तोवज नहीं होना बताया था। पुलिस ने घटनास्थल से टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 एवं 2 बैल जप्त कर उन्हें थाने ले गये थे।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त दिलीप के प्रकरण में एक बार गवाही दी थी। प्रदर्शपी 1 व 2 की लिखा-पढ़ी उसके सामने हुई थी और उसने गाड़ी एवं बैलों को जप्त करने के संबंध में बने पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि आज वह आरक्षक प्रशांत के साथ वाहन में बैठकर न्यायालय में साक्ष्य देने आया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे पता है कि ग्राम सुन्देल में बैल बाजार गुरुवार को लगता है जहाँ कृषि कार्य हेतु बैल क्रय एवं विक्रय हेतु लाये जाते हैं तथा बरुफाटक से गुरुवार के दिन बैल भरकर 20 से 25 वाहन जाते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने विवाह की दिनांक याद नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह पुलिस से मिलकर असत्य कथन कर रहा है।

12. डॉ. दिनेश पटेल अ.सा. 4 ने दिनांक 22.07.13 को थाना ठीकरी से अपराध क्रमांक 145/13 में जप्त दो बैलों का चिकित्सीय परीक्षण करने पर प्रदर्शपी 7 का पत्र प्राप्त होने पर वृंदावन गौशाला भगवानपुरा पहुँचकर उक्त बैलों का चिकित्सीय परीक्षण करने और उनके शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं होना बताया था। साक्षी ने उक्त दोनों बैलों को कृषि कार्य हेतु उपयोगी होना बताया था और अपना परीक्षण प्रतिवदन प्रदर्शपी 8 प्रमाणित किया है।

13. उपनिरीक्षक आर.एस. गणवा अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पशु बाजार में अच्छी किस्म के पशुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा से ठीकरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रवीण सोलंकी अ.सा.1 एवं देवेन्द्र पाटीदार अ.सा.3 तथा मुकेश उर्फ हाडु अ.सा. 5 ने बरुफाटक से महाराष्ट्र राज्य की दूरी इतनी ही होना स्वीकार किया है। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि धार जिले के ग्राम सुन्देल में गुरुवार के दिन पशुओं के क्रय-विक्रय का बाजार लगता है तथा अच्छी किस्म के पशुओं का क्रय-विक्रय उस बाजार में होता है। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि गुरुवार के दिन ग्राम बरुफाटक से होकर कई वाहन पशुओं को लेकर आती-जाती है। डॉ. दिनेश पटेल अ.सा. 4 ने उक्त अपराध में जप्त बैलों को कृषि उपयोगी होना पाया था तथा उनके शरीर पर कोई भी चोट नहीं होना पाया है तो ऐसी स्थिति में आर.एस.गणवा अ.सा. 2 ने सम्पूर्ण कथन के दौरान यह नहीं बताया कि अभियुक्त द्वारा वध करने के आशय से उक्त पशुओं का परिवहन किया जा रहा था। अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त वध करने के आशय से क्रूरतापूर्वक दो बैलों का परिवहन मध्यप्रदेश राज्य के बाहर महाराष्ट्र राज्य में कर रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवीण सोलंकी अ.सा. 1 पुलिस विभाग का आरक्षक है तथा मुकेश उर्फ हाडु अ.सा. 5 को अपनी स्वयं की विवाह की दिनांक याद नहीं है उसे उक्त टेम्पों का भी नम्बर भी नहीं पता लेकिन घटना की दिनांक 18.07.2013 याद है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी जो कि पुलिस आरक्षक के साथ

वाहन में बैठकर न्यायालय आया है। अभियोजन में हितबद्ध प्रतीत होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पुलिस के कहने से अभियुक्त के विरुद्ध इस संबंध में कथन कर रहा है। मुकेश उर्फ हाडु असा 5 ने भी सम्पूर्ण कथन के दौरान यह नहीं बताया कि अभियुक्त के द्वारा वध करने के प्रयोजन से उक्त बैलों का क्रूरतापूर्वक परिहवन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त घटना, दिनांक, स्थान व समय पर टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 में 2 बैलों को मारपीट कर क्रूरतापूर्वक उसका वध करने के आशय से परिवहन कर रहा था। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उक्त अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1860, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा टाटा मेजिक वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एल.पी. 1791 एवं जप्त बैल के संबंध में राजसात की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। अतः उक्त संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

16. निर्णय की एक प्रति राजसात की कार्यवाही के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी की ओर भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

